भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *251

(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के स्थान पर वीबी- जी राम-जी अधिनियम

***251. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन-ग्रामीण (वीबी-जी राम-जी) अधिनियम लाने और मजदूरी का चालीस प्रतिशत वित्तीय बोझ राज्यों पर डालने के संबंध में राज्यों के साथ कोई औपचारिक परामर्श किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारण छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ (लगभग 4,000 करोड़ रुपये वार्षिक) और उनके अन्य विकास बजटों पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ग) छत्तीसगढ़ सहित देश में विगत पांच वर्षों के दौरान प्रति परिवार औसत कार्य दिवसों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार बिना किसी अतिरिक्त बजटीय प्रावधान के 125 दिनों का लक्ष्य प्राप्त करने और केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी का शत-प्रतिशत भुगतान किए जाने की प्रणाली को बहाल करने का है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 251* के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): पिछले बीस वर्षों में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) ने ग्रामीण परिवारों के लिए मजदूरी आय सुनिश्चित करते हुए गारंटीकृत मजदूरी-रोजगार प्रदान करने में योगदान दिया है। हालाँकि, सामाजिक सुरक्षा क्रियाकलापों की व्यापक पहुंच और प्रमुख सरकारी योजनाओं के संतृप्ति-उन्मुख कार्यान्वयन से ग्रामीण परिदृश्य में देखे गए महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, इसका और अधिक सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक हो गया था। इसी प्रकार, ग्रामीण संपर्कता, ग्रामीण आवास, विद्युतीकरण, वित्तीय समावेशन और डिजिटल पहुंच में वृद्धि हुई है, कार्यबल में विविधता आई है, और आकांक्षाएं बेहतर आय, विकास-उन्मुख बुनियादी अवसंरचना, सतत आजीविका और अधिक जलवायु अनुकूलन की ओर उन्मुख हुई हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना का कार्यान्वयन सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों, मनरेगा कामगारों, पदाधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों, विशेषज्ञों आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भागीदारी, पारदर्शिता और डिजिटल शासन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मनरेगा की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए हितधारकों के सुझाव और विचार लेने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक विचार-मंथन सत्र भी आयोजित किया गया। राज्यों से प्राप्त परामर्श और प्रतिक्रिया के आधार पर मंत्रालय द्वारा कई प्रशासनिक और तकनीकी सुधार शुरू किए गए हैं।

हालाँकि, गहन संरचनात्मक मुद्दे बने रहे। कई राज्यों में निगरानी के दौरान कमियों का पता चला, जिसमें जमीनी स्तर पर काम न किया जाना, व्यय का वास्तविक प्रगति से मेल नहीं खाना, श्रम-प्रधान कार्य में मशीनों का उपयोग और डिजिटल उपस्थिति प्रणालियों को बार-बार दरकिनार करना शामिल है। चूँकि, महात्मा गाँधी नरेगा योजना की समग्र संरचना का अधिकतम विस्तार हो चुका था, इसलिए विकसित हो रही ग्रामीण वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाना आवश्यक था।

इस पृष्ठभूमि में और बदलती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, कई पूरक सरकारी योजनाओं को शामिल करने वाले एक एकीकृत, 'संपूर्ण-सरकार' ग्रामीण विकास ढांचे को स्थापित करने के लिए सुदृढ़ अभिसरण की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अतिरिक्त, यह भी आवश्यकता महसूस की गई कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए टुकड़ों-टुकड़ों में निर्माण के दृष्टिकोण के स्थान पर एक सुसंगत और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण में परिवर्तित होना

चाहिए, जिसके लिए यह भी आवश्यक था कि देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में असमानताओं को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर संसाधनों को उचित तरीके से बांटा जाए।

नए अधिनियम के तहत केंद्र-राज्य वित्तीय साझाकरण पैटर्न के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि, ऐतिहासिक रूप से, देश की अधिकांश प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच साझा वित्तपोषण मॉडल पर संचालित हुई हैं। उदाहरण के लिए:

I. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) में 75:25 के साझाकरण पैटर्न को अनपाया गया।

II. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) में 50:50 मॉडल को अपनाया गया।

III. जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) 80:20 के आधार पर चलाई गई थी।

IV. एसजीआरवाई, ईएएस और जेजीएसवाई जैसी योजनाएं भी केंद्र-राज्य साझाकरण पैटर्न पर कार्यान्वित की गई थीं, जो आमतौर पर 75:25 के अनुपात में थीं।

वर्तमान में, विभिन्न क्षेत्रों में लगभग सभी केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) 60:40 साझाकरण मॉडल पर लागू की जा रही हैं। इसलिए, इस अधिनियम के तहत अपनाया गया 60:40 पैटर्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के व्यापक ढांचे के अनुरूप है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) हेतू 95,692.31 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्से का प्रावधान किया गया है, जो बजट अनुमान चरण में ग्रामीण रोजगार में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। संबंधित राज्य के हिस्से को शामिल करने के साथ, कार्यक्रम का कुल परिव्यय 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और आय में वृद्धि होने की आशा है।

यह मॉडल राज्यों को ग्रामीण विकास में सक्रिय भागीदार बनाकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर) के लिए विशेष सुरक्षात्मक प्रावधान किए गए हैं, जहाँ 90:10 का केंद्र-राज्य साझाकरण पैटर्न लागू होता है।

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों या अन्य असाधारण परिस्थितियों में, राज्य सरकारें केंद्र से विशेष परिचालन संबंधी छूट की सिफारिश कर सकती हैं। ऐसी स्थितियों में केंद्र सरकार को स्वीकार्य कार्यों के विस्तार, दस्तावेज प्रक्रियाओं में छूट, और रोजगार प्रावधानों में अस्थायी वृद्धि की अनुमति देने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार यह ढांचा उत्तरदायी, स्थिति स्थापक और उभरती जरूरतों के प्रति संवेदनशील है।

कुल मिलाकर, वित्तपोषण पैटर्न को राजकोषीय जिम्मेदारी, राज्य की भागीदारी और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 2020-21 से 2024-25 तक के पिछले पांच वित्तीय वर्षों में प्रति परिवार प्रदान किए गए औसत रोजगार के दिनों का छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण विकास ढांचे को 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुसार बनाना है। यह उन ग्रामीण परिवारों को, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की बढ़ी हुई वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करता है, जिससे वे विस्तारित आजीविका सुरक्षा ढांचे में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम हो सकें। चूंकि, विकसित भारत-जी राम जी कार्यक्रम की मांग आधारित प्रकृति को बनाए रखता है, इसलिए श्रमिक इस अधिनियम के तहत दी गई 125 दिनों की गारंटी का लाभ उठाने के हकदार हैं।

इस मंत्रालय ने अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बड़े पैमाने पर सूचना, शिक्षा और प्रसार अभियान भी शुरू किया है ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण परिवारों को उनकी मांग के अनुसार पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं।

लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 251 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराए गए रोजगार के औसत दिनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	54.41	51.66	52.27	54.89	51.62
2	अरुणाचल प्रदेश	56.72	61.18	55.76	59.52	67.9
3	असम	36.32	33.48	34.22	38.92	37.16
4	बिहार	44.65	37.75	47.16	45.77	48.87
5	छत्तीसगढ़	60.15	59.29	51.48	51.54	51.68
6	गोवा	26.28	28.56	25.5	20.68	24.73
7	गुजरात	42.52	49.67	45.29	49.55	47.53
8	हरियाणा	39.31	36.26	31.35	33.61	34.11
9	हिमाचल प्रदेश	52.81	52.48	47.6	51.08	55.05
10	जम्मू और कश्मीर	54.32	56.06	43.69	54.63	55.91
11	झारखंड	46.35	45.27	44.31	50.22	49.92
12	कर्नाटक	49.09	48.21	42.52	46.22	45.05
13	केरल	63.25	64.41	62.26	67.7	66.17
14	लद्दाख	65.7	59.78	57.86	62.34	66.92
15	मध्य प्रदेश	61.84	57.95	50.02	48.85	49.14
16	महाराष्ट्र	40.34	40.54	37.15	47.41	53.92
17	मणिपुर	60.4	54.5	20.72	30.57	46.56
18	मेघालय	71.53	73.72	60.35	66.38	68.3
19	मिजोरम	92.94	94.65	93.64	93.24	94.62
20	नागालैंड	45.91	46.48	46.78	43.9	44.51
21	ओडिशा	55.51	56.91	55.5	55.9	51.02
22	पंजाब	39.52	37.88	37.97	41.34	37.63
23	राजस्थान	61.06	59.92	56.28	58.75	53.79
24	सिक्किम	57.6	54.09	54.06	56.58	56.57

25	तमिलनाडु	50.22	50.95	50.96	59.44	46.86
26	तेलंगाना	50.77	50.31	44.56	47.72	45.82
27	त्रिपुरा	74.66	71.85	59.92	63.16	59.82
28	उत्तर प्रदेश	41.84	41.95	44.44	50.37	51.55
29	उत्तराखंड	46.42	42.42	41.2	41.75	43.96
30	पश्चिम बंगाल	51.98	47.94	23.24	21.69	0
31	अंडमान और निकोबार	33.77	23.57	27.64	28.73	28.97
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	50.64	64.29
33	लक्षद्वीप	32.15	29.96	45.74	46.8	0
34	पुदुचेरी	22.06	16.02	19.61	41.69	22.95
	राष्ट्रीय	51.54	50.07	47.84	52.07	50.24

नरेगासॉफ्ट के अनुसार